हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०- 08/2015-2475 /वि०स० 16/6/15

प्रिय .....

पंचदश बिहार विधान सभा का षोडश सत्र दिनांक 20 फरवरी, 2015 से प्रारम्भ हुआ और उसी दिन दिनांक 20 फरवरी, 2015 को महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश के आलोक में सदन की बैठक के उपरांत अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया तथा पुनः संशोधित कार्यक्रमानुसार सदन की बैठक दिनांक 11 मार्च, 2015 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 22 अप्रील, 2015 को सभा की बैठक के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । षोडश सत्र में कुल अठाईस (28) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पंचदश बिहार विधान सभा के षोडश सत्र के आरम्भ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली सबसे उत्तम प्रणाली है और उसके माध्यम से कोई सदस्य जो विषय सदन में उठाना चाहता है, चाहे गंभीर से गंभीर विषय क्यों न हो, उसको सदन में संसदीय परम्पराओं के अनुरूप रख सकते है । संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र की भूमिका केवल विरोध के लिए नहीं होती है बल्कि संसदीय प्रणाली को मजबूत करने, सकारात्मक ढंग से राज्य के विकास में गति देने और प्रश्नों के माध्यम से यदि ट्रेजरी बेंच भूल गया हो तो याद दिलाने के लिए होती है । इसलिए आपसे हमारी अपेक्षा है कि सामाजिक समन्वय स्थापित करने के लिए एक ऐसी विचारधारा की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य जाति और धार्मिक कट्टरवादिता और विघटनकारी बाधाओं को दूर करने के लिए यह सदन संविधान के अनुसार धर्मनिपेक्षता को राज्य में आधार प्रदान करे ।

सदन की पूरी कार्यवाही का लाईव टेलीकास्ट किया जा रहा है । राज्य की जनता का ध्यान हमारी ओर लगा हुआ है कि आज सदन में क्या होनेवाला है । महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पश्चात सरकार अपना विश्वास मत भी प्राप्त करेगी इसलिए इस सदन की कार्यवाही की महत्ता और भी बढ़ जाती है । जैसा की आप जानते है कि सदन की कार्यवाही को जन-जन तक पहुँचाने के लिए वेबकास्ट, आकाशवाणी और दूरदर्शन से डेफर्ड प्रसारण कराने की व्यवस्था की गई है ।

विधायी एवं संसदीय प्रक्रिया से छात्र छात्राओं को अवगत कराने हेतु पूर्व की भाँति इस सत्र में भी प्रतिदिन 25 छात्र एवं 25 छात्राओं को सदन के प्रथम पाली की कार्यवाही देखने का अवसर प्रदान किया गया है ।

माननीय सदस्यों के प्रश्नों को ऑन-लाईन भी स्वीकार करने तथा बिहार विधान सभा द्वारा इन प्रश्नों की समीक्षा कर विभागों को ऑन-लाईन भेजने की व्यवस्था है जिसे कि समय की बचत हो । इस प्रकार हम हमेशा बिहार विधान सभा की कार्यवाही के माध्यम से संसदीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए और संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए आपके सहयोग से आगे बढ़ रहे है ।

राज्यपाल का अभिभाषण

वर्ष 2015 के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत का संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसरण में बिहार के राज्यपाल, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 11 मार्च, 2015 को सम्बोधित किया गया । श्री राजेश सिंह, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा डॉ० दाउद अली, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया । धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर दिनांक 12 एवं 13 मार्च, 2015 को वाद-विवाद हुआ तथा प्रस्ताव ध्वनी मत से पारित किया गया ।

विश्वास का प्रस्ताव

दिनांक 11 मार्च, 2015 को सरकार द्वारा विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसपर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के उपरांत लौबी डिवीजन हुआ, जिसमें सरकार के पक्ष में 140 मत एवं विपक्ष में शून्य मत प्राप्त हुआ । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को नियमानुसार सदन नेता घोषित किया गया ।

अनुमत विधेयक

पंचदश सत्र में बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 01 (एक) विधेयक के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया ।

वित्तीय कार्य

दिनांक 12 मार्च, 2015 को वित्त मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आय-व्ययक उपस्थापित किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए दिनांक 17 मार्च, 2015 को लेखानुदान के प्रस्ताव पर वाद-विवाद तथा सरकार के उत्तर के पश्चात प्रस्ताव स्वीकृत हुआ एवं तत्संबंधी विनियोग (लेखानुदान विधेयक, 2015) पारित हुआ ।

दिनांक 18 एवं 19 मार्च, 2015 को वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर हुआ । वित्तीय वर्ष 2015-2016 में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर 15 दिनों तक वाद-विवाद चला । सभी प्राप्त कटौती प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया तथा अनुदानों की मांग ध्वनी मत से पारित हुआ । दिनांक 16 अप्रील, 2015 को शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ तत्पश्चात बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 पारित हुआ ।

दिनांक 12 मार्च, 2015 को वित्त मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया दिनांक 16 मार्च, 2015 को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित पंचायती राज विभाग के अनुदान की माँग वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
2. उर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा- 105(2) तथा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियमावली, 2012 के नियम-5 के तहत् बिहार विद्युत

विनियामक आयोग के कार्यालयों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 (संयुक्त) का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

3. खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा- 28(3) के तहत् बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2014 (अधिसूचना संख्या- 3084, दिनांक- 11.08.2014) एवं बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014 (अधिसूचना संख्या- 3085, दिनांक- 11.08.2014) की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
4. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र" तथा "राज्य का वित्त", जिन्हें बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन, जिसे विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
6. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8(3) के तहत् संसदीय कार्य विभाग का अधिसूचना संख्या- 1090, दिनांक- 21.08.2013, अधिसूचना संख्या- 625, दिनांक- 11.06.2014 एवं अधिसूचना संख्या- 808, दिनांक-07.08.2014 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
7. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के तृतीय तिमाही के प्राप्ति एवं व्यय का ब्यौरा संबंधी प्रतिवेदन की प्रति सभा के पटल पर रखी गयी ।
8. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
9. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के परिणाम बजट प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
10. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के जेण्डर बजट की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
11. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 205 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06, 2007-08 एवं 2008-09 के अधिकाई व्यय विवरणी उपस्थापत किया गया ।
12. उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा दिनांक- 31 मार्च, 2012, दिनांक- 31 मार्च, 2013 एवं दिनांक- 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुये वर्षो के लिए बिहार राज्य वित्तीय निगम के वार्षिक लेखा पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवदेनों को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 37(7) तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम के वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 का 55वाँ और 56वाँ वार्षिक प्रतिवेदन राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 38(2) के तहत् सभा पटल पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुर:स्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2015
2. बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015
3. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015
4. बिहार वित्त विधेयक, 2015
5. बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 एवं 2008-2009) विधेयक, 2015
6. बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015
7. बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2015
8. बिहार विनियोग (लेखानुदान सहित) निरसन विधेयक, 2015
9. बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015
10. श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (अधिग्रहण और प्रबंधन) विधेयक, 2015

याचिका

इस सत्र में कुल 89 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 74 स्वीकृत हुए तथा 15 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 360 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 327 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 33 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 3629 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 2252 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 38 अल्पसूचित, 1882 तारांकित एवं 332 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में से 249 प्रश्न उत्तरित हुए तथा 355 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या 40, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या 19 एवं 1589 प्रश्न अनागत हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 368 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 52 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी । तथा 285 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 31 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 136 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 131 सूचनाएँ स्वीकृत तथा 05 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी सूचनाओं में से 105 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 02 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये, 01 सूचना सदन द्वारा निरस्त किया गया तथा 01 सदन द्वारा अस्वीकृत किये गये । 22 सूचनाएँ संबंधित माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नहीं लिये जा सके ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

(1) स्वर्गीय भोला राय, पूर्व स०वि०स०

(2) स्वर्गीय राम सुन्दर दास, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार

(3) स्वर्गीय मुंशी लाल राय, पूर्व स०वि०स०

(4) स्वर्गीय कमला सिन्हा, पूर्व सांसद एवं पूर्व परिषद सदस्य

(5) स्वर्गीय जगदीश नारायण चौधरी, पूर्व स०वि०स०

(6) स्वर्गीय धर्मपाल सिंह, पूर्व स०वि०स०

(7) स्वर्गीय यशवंत कुमार चौधरी, पूर्व स०वि०स०

(8) स्वर्गीय संकटेश्वर सिंह, पूर्व स०वि०स०

(9) स्वर्गीय रामेश्वर ठाकुर, पूर्व सांसद एवं सभा सदस्य

(10) स्वर्गीय नारायण यादव, पूर्व स०वि०स०

(11) स्वर्गीय रामरूप हरिजन, पूर्व स०वि०स०

(12) स्वर्गीय फाल्गुनी प्रसाद यादव, पूर्व स०वि०स०

(13) स्वर्गीय अनीस अहमद, पूर्व स०वि०स०

(14) स्वर्गीय सीता राम चमरिया, पूर्व स०वि०स० एवं स०वि०प०

(15) स्वर्गीय सुदामा चौधरी, पूर्व स०वि०स०

(16) स्वर्गीय मोहन राम, पूर्व स०वि०स०

(17) स्वर्गीय विश्व मोहन भारती, पूर्व स०वि०स०

(18) स्वर्गीय रामेश्वर राय, पूर्व स०वि०प०

(19) स्वर्गीय विनय कुमार सिन्हा, पूर्व स०वि०प०

दिनांक 22 अप्रील, 2015 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

10.6.15

(हरेराम मुखिया)

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

.....

.....

.....